Mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - **niyaman.mpsamb@gmail.com**

क्र/बी-6/नियमन/वि.अनु./प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर/678/2430 भोपाल, दिनांक 03/03/2023

प्रति

मेसर्स प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर,
ई-29, मणीपुरम बिट्टन मार्केट,
भोपाल (म.प्र.)

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे।

संदर्भ - **मेसर्स प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर** भोपाल का आवेदन दिनांक 20/10/2022।

मेसर्स प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप-एक मे आवेदन दिनांक 20/10/2022 प्रस्तुत किया गया है जिसमे मध्यप्रदेश के **कृषि** उपज **मंडी समिति भोपाल** एवं कृषि उपज **मंडी समिति** आष्टा के **मंडी क्षेत्र** मे अधिसूचित कृषि उपज **"धान्य तथा दलहन", "तिलहन"** के कारोबार किये जाने हेतु दो क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति चाही गई है।

1. **मेसर्स प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर** भोपाल के द्वारा विनिर्दिष्ट मंडियो मे खरीदी हेतु प्रतिभूति स्वरूप रूपये 04 लाख की यूको बैंक की एफडीआर दिनांक 24/02/2023 मंडी बोर्ड मे प्रस्तुत की गई है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 21/12/2024 तक है।

2. **मेसर्स प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर** भोपाल को उक्त मंडी समितियों में अधिसूचित कृषि उपज केवल **"धान्य तथा दलहन", "तिलहन"** " के क्रय से संबंधित विक्रेता के साथ प्ररूप-पांच मे करार, प्ररूप-छः विक्रय बाउचर तथा मंडी समिति के कार्यालय मे, क्रय-विक्रय से संबंधित प्ररूप-सात मे पाक्षिकी विवरण, प्ररूप-आठ मे दैनिक क्रय विवरण, उपाबंध-एक अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय / निर्गमन के संबंध मे, उपाबंध-दो मे पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 (दो) में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज केवल **"धान्य तथा दलहन", "तिलहन"** के क्रय हेतु मंडी का नाम का विवरण देना प्रावधानित है, जिसके अनुसार **मेसर्स प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर** भोपाल द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के खरीदी / विक्रय के स्थान की मंडी बोर्ड एवं संबंधित मंडी समितियों को यथासमय जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

4. नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार मेसर्स **प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर** भोपाल को कृषि **उपज मंडी समिति भोपाल एवं कृषि उपज मंडी समिति** आष्टा मे अधिसूचित कृषि उपज **"धान्य तथा दलहन", "तिलहन"** के क्रय हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति अनंतिम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप-3 में परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है ।

संलग्न - **उपरोक्तानुसार**।

(जी व्ही रश्मि)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बी-6/नियमन/वि.अनु./प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर/678/2431 भोपाल, दिनांक 03/03/2023

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/ जबलपुर/ सागर/ ग्वालियर/ रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। मेसर्स प्रेम **इन्फ्रास्ट्रक्चर** भोपाल को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 मे उपनियम (2) के अधीन उपरोक्तानुसार नवीन विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल **"धान्य तथा दलहन", "तिलहन"** के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा मंडी अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं।

2. कृषि उपज मण्डी समिति...................... जिला.................... (समस्त) (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। **मेसर्स प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर** भोपाल को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 के अधीन जारी विशेष अनुज्ञप्ति उपरोक्तानुसार अधिसूचित कृषि उपज केवल **"धान्य तथा दलहन", "तिलहन"** के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं।

3. प्रोग्रामर (आईटी सेल), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारक **मेसर्स प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर** भोपाल को स्वीकृत नवीन विशेष अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में कराने हेतु।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 8 देखिये)

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/28 दिनांक 03/03/2023

श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स प्रेम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई-29, मणीपुरम, बिट्टन मार्केट, जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु तारीख 03 माह मार्च वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनन्तिम रूप से दी जाती है :-

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	तिलहन/धान्य तथा दलहन	भोपाल	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति भोपाल जिला भोपाल	ग्राम पीपलीया जाहीर पीर	ग्राम पीपलीया जाहीर पीर	श्री राहुल प्रजापति मो.नं.- 9893463077
2	तिलहन/धान्य तथा दलहन	आष्टा	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति आष्टा जिला सीहोर	ग्राम डाबरी, शुजालपुर रोड	ग्राम डाबरी, शुजालपुर रोड	श्री राजा शिवहरे मो.नं.- 8109136542

2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में) {नियम 4 (2) देखिए}

1	तिलहन	2,000 मेट्रिक टन
2	धान्य तथा दलहन	2,000 मेट्रिक टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगाः-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक 03/03/2023 से 02/03/2024 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5 यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगीः-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपवंचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,

(पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने पर,

(छः) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल